



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 780 राँची, गुरुवार

7 कार्तिक, 1937 (श०)

29 अक्टूबर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

-----

संकल्प

16 अक्टूबर, 2015

संख्या-01/विविध/स्था./07/2015-3855--नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-3873, दिनांक 28 अगस्त, 2014 के द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 38 में अंकित प्रावधान के आलोक में वार्ड के कार्य संचालन हेतु विभिन्न उप समितियों के गठन संबंधी निर्गत निदेश में उक्त समितियों की संरचना को स्पष्ट एवं व्यवहारिक करने हेतु वार्ड अंतर्गत गठित उप समितियों में प्रतिनिधियों के मनोनयन हेतु उक्त संकल्प को संशोधित करने की आवश्यकता है।

2. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत संकल्प में निम्नांकित संशोधन का निर्णय लिया जाता है:-

- (i) संकल्प की कंडिका-1.3.1.1, 1.3.2.1, 1.3.3.1, 1.3.4.1, एवं 1.3.5.1 द्वारा गठित जलापूर्ति एवं जलकर उप समिति, स्वच्छता उप समिति, नागरिक सुविधा एवं होल्डिंग कर उप समिति, स्वनियोजन उप समिति एवं वार्ड कल्याण उप समिति में वार्ड की आम सभा के स्थान पर वार्ड समिति प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (ii) संकल्प के परिशिष्ट-'क' में वार्ड की आम सभा के स्थान पर वार्ड समिति प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (iii) उप समितियों के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
अरुण कुमार सिंह,  
सरकार के प्रधान सचिव ।

-----